तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कैलाश शंकर पुत्र रूपराज सुथार, निवासी बसंत तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :–117 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 462 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

–: निर्णय :–

22.08.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचना के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने जरिये पत्र इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक **22.08.2024** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner